Right to Food Campaign
(Secretariat)

==========

24, Block A, Adhchini, Sarvodaya Enclave, New Delhi – 110017, India

25th April, 2020

अब और तालाबंदी नहीं

25 मार्चसे लेकर अब तक चल रही तालाबंदी में विशेष रूप से गरीबों को बहुत आर्थिक परेशानियां हो रही हैं. करोड़ों प्रवासी मज़दूर अपने घर से दूर फसे हुए हैं और उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है. देश के 90 प्रतिशत से अधिक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में हैं, और उनमें से कई के पास तो अभी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं.

केंद्र व राज्य सरकारों ने बहुत देर से और बहुत अपर्याप्त राहत की घोषणा की है और कई वंचित परिवार इस राहत के दायरे से भी बाहर हैं. हम अपनी मांग ज़ारी रखते हैं कि जन वितरण प्रणाली को सार्वजनिक किया जाए और कम से कम सितम्बर तक हर इच्छुक व्यक्ति को 10 किलो अनाज, 1.5 किलो दाल और 800 ग्रामखाद्य तेल मिले.

तालाबंदी के कारण कम से कम 270 लोगों की भूख, थकान, सरकार द्वारा हिंसा, आत्महत्याया स्वास्थय सेवाए प्राप्त न करने के कारण मौत हो गई है.आवागमन पर रोक के कारण अस्पताल नहीं पहुँच पाने,स्वास्थ्य केन्द्र बंद होने, पूर्ण रूप से चालू न होने याअतिरिक्त क्षमता न होने के कारण कई लोगस्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं.साथ ही साथ, गर्मी के मौसम को देखते हुए, तालाबंदी के दौरान कच्ची बस्तियों में लोगों के लिए पानी लाना बहुत मुश्किल हो रहा है.

तालाबंदी के दौरान शासन का लोगों पर दमन बहुत अधिक बढ़ा है. कई जगहों पर भोजन की तालाश में घर से निकले लोगों पर पुलिस ने हिंसा की है. वापस अपने गाँव जाने के इच्छुक कई प्रवासी मज़दूरों के साथ क्रूर व्यवहार हुआ है. कुछ पर तो धारा 144 का उलंघन करने का भी इलज़ाम लगा है.यहसरकार की ज़िम्मेवारी है कि अपने घर जाने के इच्छुक मज़दूरों के लिए तुरंत सुरक्षित यातायात का प्रबंध हो.

आशा है कि 3 मई तक चलने वाले 40 दिन की तालाबंदी में सरकार ने करोनावायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त किया है. अब सरकार को पहचान, जांच, अलगाव व रोकथाम की रणनीती अपनानी चाहिए. जिन जगहों पर केवल एक कोविड का मरीज़ पाया गया है, ऐसी जगहों को भी “हौटस्पॉट” घोषित कर उन्हें सील कर दिया गया है.ऐसे कई लोग जिनका तालाबंदी की शुरुआती दिनों में गुज़ारा चल रहा था, वे अब संकट की स्थिति में हैं. तालाबंदी को जारी रखने की सामाजिक और आर्थिक कीमत बहुत अधिक है, जिसका कोई औचित्य नहीं है.लोगों के सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार को किसी भी समय जोखिम में नहीं डाला जा सकता.

आयशा, गंगाराम पैकरा, कविता श्रीवास्तव और दीपा सिन्हा
(रोज़ी रोटी अधिकार अभियान की स्टीयरिंग कमिटी की ओर से)